संख्या-27/2018/ 2086/46-3-18-3(37)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2018**

विषय- चीनी एवं शीरा के बाजार मूल्य में हुई गिरावट व अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं किसानो के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु, पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2018/1697/46-3-18-3(37)/2018 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 एवं संख्या-21/2018/1999/46-3-18-3(37)/2018 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 तथा अपने पत्र संख्या-273/शोध एवं समन्वय/2018-19, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(9) में यह दिशा-निर्देश हैं कि "वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में देय हुए गन्ना मूल्य का शत्-प्रतिशत् भुगतान किये जाने हेतु कट-आफ-डेट 30 नवम्बर, 2018 होगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों को उक्त तिथि तक पेराई सत्र 2017-18 का शत्-प्रतिशत् भुगतान करना अनिवार्य होगा।"

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में देय गन्ना मूल्य का शत्-प्रतिशत् भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित **कट-आफ-डेट 30 नवम्बर, 2018 को बढाकर दिनांक 10 दिसम्बर, 2018** की जाती है।

4- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-13/2018/1697/46-3-18-3(37)/2018, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को इस सीमा तक परिवर्धित/संशोधित माना जाय, अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा. संख्या-ई-6-918/दस-2018, दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या-27 /2018/ 2086(1)/46-3-18-3(37)/2018,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
8- महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ।
9- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त अध्यासी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा-गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से)**
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।
13- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
14- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

राकेश कुमार मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।